न्यायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – [illegible]/2025

बनाम

प्रार्थीगण

फुसाराम पुत्र हरलालराम जाति जाट निवासी आटीया तहसील चौहटन

विपक्षी

1. तहसीलदार रामसर।
2. [illegible]राम पुत्र [illegible]राम
3. [illegible]राम पुत्र [illegible]राम
4. [illegible]राम पुत्र [illegible]राम जाति जाट निवासी चिमनपुरा आटिया तहसील चौहटन।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

आदेश

दिनांक 28.03.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा चिमनपुरा पटवार मण्डल चाडी तहसील रामसर के खसरा संख्या 444/285 4.8562 हेक्टयर व खेत खसरा 445/285 रकबा 2.4281 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा शेक्षणिक दस्तावेजों तथा अन्य खेतों की जमाबन्दीयों में फुसाराम पुत्र हरलालराम दर्ज है लेकिन तहसील ऑनलाइन करते समय प्रार्थी का नाम फुसाराम के स्थान पर तेजाराम अंकित कर दिया गया जिसे दुरस्त करने हेतु यह प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.03.2025 को दर्ज किया गया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर किया गया। पत्रांवली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चिमनपुरा पटवार मण्डल चाडी तहसील रामसर के खसरा संख्या 444/285 4.8562 हेक्टयर व खेत खसरा 445/285 रकबा 2.4281 में प्रार्थी का नाम तेजाराम के स्थान पर फुसाराम पुत्र हरलाल राम दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 28.03.2025

क्रमांक : रीडर/2024/ 443-44
प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी फुसाराम पुत्र हरलालराम जाति जाट निवासी आटीया तहसील चौहटन।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर